कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 198/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 25.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस को मिली सफलता

संदिग्ध व्यक्तियों एवं की चेकिंग के दौरान थाना फूलपुर पुलिस टीम ने अभियुक्त को दबोचा, आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में अवैध शस्त्र रखने एवं बेचने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक फूलपुर देवेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में थाना फूलपुर पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया है।

दिनांक 25.05.2026 को उ0नि0 शिवशरण सिंह मय हमराह द्वारा ग्राम आंधीपुर नहर पुलिया मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त सिकन्दर चौहान पुत्र विक्रम चौहान निवासी ग्राम पूराधन्नी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 01:15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 नाजायज तमंचा .315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 181/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 181/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सिकन्दर चौहान पुत्र विक्रम चौहान निवासी ग्राम पूराधन्नी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी- 01 नाजायज तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 181/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 शिवशरण सिंह, का0 मुनीब यादव, का0 अरविन्द कुमार, का0 दयाशंकर यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर 06 वर्षों तक दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.05.2026 को वादिनी मुकदमा ने थाना मेहनगर पर तहरीर दिया कि वह अपनी बड़ी बहन के ससुराल आती जाती थी। इसी दौरान उसकी बहन का देवर प्रशान्त कुमार पुत्र गोविन्द राम निवासी ग्राम टोडरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उससे बात चीत करने लगा तथा शादी का झांसा देकर करीब 06 वर्षों तक दुष्कर्म किया तथा अश्लील फोटो व वीडियो बना लिया। वादिनी ने शादी करने के लिए कहा तो अभियुक्त ने वादिनी के अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाकर वायरल कर दिया। उक्त सूचना के आधार पर थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0- 167/26 धारा 69 बीएनएस व 67A आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ डा अनिल कुमार के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतू चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 25.05.2026 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रशान्त कुमार पुत्र गोविन्द राम निवासी ग्राम टोडरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को मेहनगर चौराहे से समय करीब 10:30 बजे गिरफ्तार चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त- प्रशान्त कुमार पुत्र गोविन्द राम निवासी ग्राम टोडरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 167/26 धारा 69 BNS & 67A IT ACT थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम – निरीक्षक जयप्रकाश यादव, का0 मुकेश कुमार चौधरी, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 25.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप **03 अभियुक्तो** को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में **प्रत्येक को आजीवन कारावास व 38-38 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना पवई में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप में 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 38-38 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➞ दिनांक- 11.06.2020 को वादी मुकदमा मो0 जीशान पुत्र स्व0 मो0 हदीस निवासी कुकड़ीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्तगण 1. मो0 यहिया पुत्र सुकुरुल्लाह 2. मोहम्मद पुत्र सुकुरुल्लाह 3. मो0 होजैफा पुत्र मो0 अयूब निवासीगण कुकड़ीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने पुरानी रंजिश को लेकर वादी के भाई कासिम अहमद को चापड़, लाठी डण्डे व लोहे की राड से मारकर हत्या कर दिया।**

➞ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0-80/2020 धारा-302,34,308,323, 504,506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➞ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➞ मुकदमा उपरोक्त में 13 गवाह परीक्षित हुए है।

➞जिसके क्रम में दिनांक-25.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. मो0 यहिया पुत्र सुकुरुल्लाह 2. मोहम्मद पुत्र सुकुरुल्लाह 3. मो0 होजैफा पुत्र मो0 अयूब निवासीगण कुकड़ीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 38-38 हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

• शेयर मार्केटिंग के नाम पर हुए साइबर फ्राड के 50,000/- रुपये पीड़ित के खाते में कराये गये वापस

• थाना निजामाबाद साइबर टीम की त्वरित कार्यवाही से पीड़ित को मिली राहत, आवेदक ने जताया आभार

दिनांक 10/11/2025 को आवेदक सुरेन्द्र चौहान पुत्र चन्द्रिका चौहान निवासी ग्राम शाहदुल्लाहपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक खाते से गूगल पे के माध्यम से 12 बार में कुल 1,50,000/- रुपये की धनराशि कट गयी। जांच में ज्ञात हुआ कि आवेदक के साथ शेयर मार्केटिंग के नाम पर साइबर धोखाधड़ी की गयी थी। इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 14.12.2025 को साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत संख्या XXXXX दर्ज करायी गयी।

शिकायत दर्ज होने के उपरान्त NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्राड की धनराशि में से 50,000/- रुपये एचडीएफसी बैंक के खाते में होल्ड कराया गया। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में थाना निजामाबाद की साइबर टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवेदक के माध्यम से मा0 न्यायालय से धनराशि वापसी हेतु आदेश प्राप्त कराया गया। तत्पश्चात संबंधित बैंक मैनेजर/बैंक नोडल से समन्वय स्थापित कर साइबर फ्राड के 50,000/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराये गये। धनराशि वापस मिलने पर आवेदक द्वारा पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम का विवरण

1. उ0नि0 दिलीप आनन्द,का0 राकेश यादव, म0आ0 रेनू देवी थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

• लाठी-डंडा, चापड़ व पत्थरों से हमला कर दहशत फैलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• घटना में प्रयुक्त 04 अदद डंडा व 02 अदद चापड़ बरामद, अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी

दिनांक 24.05.2026 को थाना निजामाबाद पुलिस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भ्रमणशील थी। इसी दौरान डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि तिग्गीपुर कसाई मुहल्ला में कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ अभियुक्तगण 1. पल्लू उर्फ नासिर, 2. यासिर पुत्रगण सहाबुद्दीन उर्फ सब्बू, 3. अरफात पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ पप्पू, 4. मो0 हारून पुत्र अब्दुल अव्वल, 5. नस्सू उर्फ नसीम पुत्र तसव्वर निवासीगण तिग्गीपुर कसाई मुहल्ला थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ तथा 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर भीम सोनकर पुत्र शिवनाथ सोनकर एवं उनके परिजनों के साथ चापड़, लाठी-डंडा, पत्थर, लात-घूंसों से मारपीट की जा रही थी। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी एवं भय का माहौल उत्पन्न हो गया तथा शांति व्यवस्था प्रभावित हुई। मारपीट में भीम सोनकर एवं उनके परिजनों को चोटें आयीं।

पुलिस द्वारा मौके से घटना में प्रयुक्त 04 अदद डंडा/बांस-बल्ली एवं 02 अदद चापड़ बरामद कर कब्जे में लिया गया। उक्त प्रकरण में उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय की तहरीर पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 134/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 125, 3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराहियान द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. मो0 हारून पुत्र अब्दुल अव्वल एवं 2. अरफात पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ पप्पू निवासीगण तिग्गीपुर कस्बा निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को डोडोपुर चट्टी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 134/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 125, 3(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मो0 हारून पुत्र अब्दुल अव्वल निवासी तिग्गीपुर कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. अरफात पुत्र सहाबुद्दीन उर्फ पप्पू निवासी तिग्गीपुर कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. 04 अदद डंडा/बांस व लकड़ी की बल्ली।
2. 02 अदद चापड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव, हे0का0 हौसिला नन्द यादव, का0 कृष्ण चन्द्र थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
• चाकू से जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार
• घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद, मुकदमे में 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी

दिनांक 22.05.2026 को शाम करीब 08:00 बजे वादी/पीड़ित छोटेलाल विश्वकर्मा पुत्र रामप्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम फत्तनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ अपनी फास्ट फूड की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी फत्तनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, जो शराब के नशे में था, बिना किसी बात के वादी पर चाकू से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिससे वादी के सिर पर गंभीर चोट आयी। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बीच-बचाव किये जाने पर अभियुक्त गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया।

वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर दिनांक 24.05.2026 को मु0अ0सं0 133/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा को सुपुर्द की गयी।
विवेचना के क्रम में दिनांक 25.05.2026 को उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर सहदुल्लापुर ईंट भट्ठा के पास से अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी फत्तनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा तथा घटना में प्रयुक्त चाकू फेंक दिया, जिसे पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। बरामद चाकू के आधार पर मुकदमे में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया।
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 133/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त
प्रवीण कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी फत्तनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
बरामदगी
घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
1. उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा, का0 रवि मौर्या, रि0का0 अभिषेक सिंह, रि0का0 अमन सिंह, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।